छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | दशम् सत्र | अंक-04

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2012

(आषाढ़-26, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 03 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 36 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य द्वारा माननीय सदस्यों को पर्चा बांटे जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - यह बिल्कुल उचित नहीं है। यदि माननीय वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार से कृत्य करेंगे तो हम विधान सभा की गरिमा को कैसे बनाये रखेंगे?

2. पृच्छा

डॉ. शक्राजीत नायक एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा रायगढ़ में आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता के साथ हुए गोली कांड संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

3. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आप सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों को नियम प्रक्रिया की जानकारी है। माननीय सदस्य जिस स्थगन के लिए मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वह स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है। स्थगन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अतः स्थगन प्रस्ताव की सूचना के नियम प्रक्रियाओं को माननीय सदस्य देख लें। आपके द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव मैंने अग्राह्य कर दिया है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2011-2012 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2011-2012 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन बजट (परफार्मेंस बजट), एवं

(3) श्री हेमचंद यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (एफ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, पटल पर रखे।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.12 बजे स्थगित की जाकर 12.31 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया।

5. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन की ओर से कोई उत्तर न आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रदेश में ए.पी.एल. राशनकार्ड धारियों को अधिक दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने प्रदेश में कृषि अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बंद करने से किसानों की सामयिक समस्या का निराकरण न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री लेखराम साहू, सदस्य ने जिला धमतरी अंतर्गत कालेजों में प्रोफेसरों की कमी होने,

(2) श्री खेदूराम साहू, सदस्य ने डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्यों में अनियमितता होने,

(3) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य ने विधान सभा सक्ती क्षेत्रातंर्गत शासकीय महाविद्यालय एवं कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों के निर्माण हेतु राशि आबंटित न होने,

(4) श्री भजन सिंह निरंकारी, सदस्य ने जिला धमतरी अंतर्गत अवैध क्रेशर प्लांट संचालित किये जाने, एवं

(5) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मरौदा स्टेशन से स्वीकृत ओवर ब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री ब्रम्हानंद
(2) श्री रूद्रकुमार गुरु
(3) श्रीमती लक्ष्मी बघेल
(4) श्री देवजी पटेल
(5) श्री भोलाराम साहू
(6) डॉ.शिवकुमार डहरिया
(7) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर
(8) श्री दूजराम बौद्ध

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन)विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) एवं 24 तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 65 (1) को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की।

(1) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012)

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन की ओर से प्राप्त छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 1 घंटे का समय निर्धारित किया।

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री फूलचंद सिंह, सौरभ सिंह, देवजी पटेल।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 60 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

10. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा का लाभ किसानों को न मिलना, प्रमाणिक बीज एवं खाद की कमी तथा अघोषित विद्युत कटौती से कृषि कार्य प्रभावित होना

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, (डॉ.) शक्राजीत नायक, फूलचंद सिंह, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री राजूसिंह ठाकुर, अग्नि चंद्राकर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री सौरभ सिंह, हृदयराम राठिया, देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, दूजराम बौद्ध, रविन्द्र चौबे।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

11. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन/निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने वर्ष 2008 की फसल बीमा राशि देने के संबंध में घोषणा किए जाने का उल्लेख करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर कृषि मंत्री के समक्ष धरने पर बैठ गए। माननीय उपाध्यक्ष के निर्देश एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों के आग्रह पर माननीय सदस्य अपने आसन पर वापस गए।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन श्री परेश बागबाहरा, सदस्य नियमों के अंतर्गत विरोध स्वरूप सभा में गर्भगृह में आवेश में आकर धरना दिये जाने के कारण स्वमेव निलंबित हो गये हैं। लेकिन मैंने उनका निलंबन तत्काल समाप्त कर दिया है। कृपया माननीय सदस्य नियमों का ध्यान रखें एवं अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखें।

12. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा(क्रमशः)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।
डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भी संबंधित विषय पर उत्तर दिया।

13. उद्गार

माननीय उपाध्यक्ष ने उद्गार व्यक्त किये कि - नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर निश्चित रूप से सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस ज्वलंत विषय पर जीवंत, सारगर्भित और सार्थक चर्चा की । मैं आसंदी की ओर से उनको ह्दय से बधाई देता हूं।

सायं 6.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 18 जुलाई, 2012 (आषाढ़, 27 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा